न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–01/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016/00071

उनवान

1. दिनेशचन्द
2. यातेन्द्र कुमार

} पुत्रान श्री लटूर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सेंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री लटूर जाति ब्राहम्ण निवासी सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
..... असल रेस्पोंडेंट।

2. विश्वप्रिय पुत्र लटूर
3. कैलाश पुत्र लटूर (मृतक)
   3/1. मुन्नी देवी पत्नी स्व0 कैलाश
   3/2. मधु पुत्री स्व0 कैलाश
   3/3. ऋषि पुत्र स्व0 कैलाश
   3/4. रश्मि पुत्री स्व0 कैलाश

} जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम सैंधली तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 24.09.2015 उनवानी जगदीश बनाम दिनेशचन्द प्र0स0 13/2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–21.12.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 द्वारा

भू प्रबन्ध अधिकारी
वदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सैंधली तहसील भुसावर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी/असल रैस्पो0 एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी रिकार्डेड विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी/अपीलाण्ट अच्छी–अच्छी भूमि पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुंतकिल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये उभयपक्ष को ताफैसला मूल वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किये बिना नोने स्पीकिंग आदेश पारित किया है। विवादित आराजी में अपीलार्थी स्वीकृत रूप से 2/5 हिस्सा के खातेदार सहकृषक काबिज तथा आपसी सहमति से विभाजित भू भाग पर काश्त करते चले आ रहे हैं। शेष 3/5 हिस्से के उत्तरवादी सम्भाग प्रत्येक खातेदार सह कृषक हैं यह आराजी अपीलाण्ट व उत्तरवादी को अपने पिता स्व0 लटूर से समभाग प्रत्येक विरासत में प्राप्त हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। वैसे भी कानून का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि एक कृषक का कब्जा सभी सहकृषको का माना जाता है। इसलिये एक सहकृषक को दूसरे सह कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी का विभाजन भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है इसलिये प्रत्येक इंच भू भाग पर हम अपीलार्थी का कब्जा उत्तरवादी के साथ होने से उत्तरवादी संख्या 01 कोई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की बैक पर पारित हुआ है। इसलिये अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 22.12.2016 को पटवारी हल्का के बताने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत् जानकारी हो पायी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश की गयी साथ में दफा 05 भारतीय अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अतः मियाद के बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत है एवं प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज योग्य है। गुणावगुण पर उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा है। अपीलाण्ट संख्या 02 ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। आगे भी विवादित आराजी खुर्द बुर्द हो सकती है। अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील हुयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश भी उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त, पूर्ण तथ्यो की जॉच करते हुये, उभयपक्ष को पाबन्द किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2010 पेज 178, 2019 पेज 551, 129, 2015 पेज 299, आरएलडब्ल्यू 2010(1) पेज 38, आरआरडी 2012 पेज 699 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 30.12.2015 को लगभग 03 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र दफा 05 के अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलण्ट की बैक पर पारित हुआ है अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की उपस्थिति अंकित है। अतः अपीलाण्ट के कथन को सत्याभाषी नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा अपील तय सीमा से लगभग एक माह बाद प्रस्तुत की गयी है। चूंकि न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारो को न्याय उपलब्ध कराना है। केवल तकनिकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। लिहाजा हम अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मात्र तीन पंक्ति का अत्यन्त सूक्ष्म एवं आर्डर शीट पर लिखा हुआ है, जिसमें वाद का पूर्ण शीर्षक के अलावा उभयपक्ष की बहस एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तीनों बिन्दु यथा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार का अस्पष्ट, अपूर्ण आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 24.09.2015 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के उक्त तीनों बिंदुओं पर अपना विवेचन देते हुये, पुनः अधिकतम एक माह में विधिसम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर